कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य, धौलपुर।

हाउसिंग बोर्ड के पास, पुरानी छावनी, धौलपुर पिन कोड 328001 E mail:- dcfwl.ncs.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ( ) FCA / उवसवजीधौ. / राचघअ. / 2026–27 / As Per Ref. No. दिनांकः As Per E-Sign

निमित्तः–

अधिषाशी अभियंता,
जल संसाधन विभाग, खण्ड–द्वितीय,
धौलपुर।

विषय :– Diversion of 9.5611 ha. of forest land under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of WRD, Division II, Dholpur, Rajasthan for DCF Chambal Sanctuary Sawaimadhopur Division. Proposal No: FP/RJ/WATER/153642/2022. Kaliteer Lift Scheme, Dholpur (Rajasthan)

संदर्भः– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी सेद्वान्तिक स्वीकृति दि. 06.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर (सब–रीजनल ऑफिस, जयपुर) का पत्रांक दिनांक 06.03.2026 द्वारा कालीतीर लिफ्ट स्कीम, धौलपुर राजस्थान के निर्माण हेतु 9.5611 है0, वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्तोंधीन प्रदान की गई है। अतः शर्तों अनुसार निम्न बिन्दुओं की राशि जमा करवाकर बिन्दु पालना रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें–

1. शर्त संख्या A.1 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर प्रस्तावित 14.8859 गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जावेगा इस हेतु आवश्यक धनराशि रू. 14.8859X 850600 / – = 1,26,61,700.00 / – (एक करोड़ छब्बीस लाख इकसठ हजार सात सौ रुपये मात्र) जमा करावें। उक्त राशि CAMPA के खाते में e-portal के माध्यम से जमा की जावेगी।
2. शर्त संख्या A.2 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) प्रस्तावित वनभूमि 9.5611 X9,57,780 X 5 / – = 4,57,87,152 / – राशि (चार करोड़ सत्तावन लाख सतासी हजार एक सौ बावन रू मात्र) एवं गैर वनभूमि 1.3414 X 9,57,780 X1 / – = 12,84,767 / – राशि (बारह लाख चौंरासी हजार सात सौ सरसठ रू. मात्र) कुल राशि 4,57,87,152 + 12,84,767 = 4,70,71,920 / – (चार करोड़ सत्तर लाख इकहत्तर हज़ार नौ सौ बीस रूपये मात्र) जमा करावें।
   उक्त राशि CAMPA के खाते में e-portal के माध्यम से जमा की जावेगी।
3. शर्त की बिन्दू संख्या A.3 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण को इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी की दरों में बढोंतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।
4. शर्त की बिन्दू संख्या A.6 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का स्थल पर निर्धारण, 4 फीट ऊँचे सीमेंट कंक्रीट के स्तंभों को 20 मीटर की दूरी पर स्थापित करके, किया जाएगा तथा उन पर अग्र / पश्च दिशा (bearing) या भू–निर्देशांक (geo-coordinates) स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएंगे, जिसका व्यय प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वहन किया जाएगा।
5. शर्त की बिन्दू संख्या B.5 के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में 16,106 / (न्यूनतम) वृक्षों की कटाई राज्य वन विभाग की कड़ी निगरानी में की जाएगी। प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त पत्र संलग्नानुसार उक्त कार्य हेतु अनुमानित राशि 30,17000 / – (तीस लाख सत्रह हजार मात्र) जमा कराई जानी है जो प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के नाम से डी.डी. बनवाकर खाता संख्या 50200054500493 आई.एफ.एस.सी. नं. HDFC 0000054 में जमा करावें।

Signature valid

Digitally signed by Ashish Vyas
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2026.05.04 16:57:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21982623
M e-Sign

उक्त वर्णित शर्तों की पालना मे कुल धनराशि (1,26,61,700.00 + 4,70,71,920) =5,97,33,620/— रूपये मात्र (पांच करोड़ संतानवे लाख तेतीस हज़ार छै सौ बीस रूपये मात्र) राजस्थान केम्पा में जमा करावें एवं जिसके उपरांत जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना (जिसमें धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन.पी.वी./क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया हो) भिजवावें। साथ ही वृक्षों के पातन हेतु राशि 30,17000/— (तीस लाख सत्रह हजार मात्र) प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के नाम से डी.डी. बनवाकर खाता संख्या 50200054500493 आई.एफ.एस.सी. नं. HDFC 0000054 में जमा करावें।

भारत सरकार, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 07—23/2012 एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के निर्णय दिनांक 17.11.2012 की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में भिजवावें।

उक्त के अलावा सैद्धान्तिक स्वीकृति के शेष बिन्दुओं की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को भिजवायी जा सके।

भवदीय,

(डॉ. आशीष व्यास),
उप वन संरक्षक (वन्यजीव),
राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयारण्य,
धौलपुर।

क्रमांक/सम/As Per Ref. No. दिनांकः As Per E-Sign

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (FCA) राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, धौलपुर—करौली टाईगर रिजर्व।

उप वन संरक्षक (वन्यजीव),
राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयारण्य,
धौलपुर।

RajKaj Ref No.:
21982623
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Ashish Vyas
Designation : Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2026.05.04 16:57:19 IST
Reason: Approved